

22/1/2018

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाजे लगवायी गई किन्तु वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए। अतः एक तरफा कार्यवाही की जाती है तथा वाद वादी/प्रार्थी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।



उपखण्ड अधिकारी
टांक (राज.)